भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4599
27 मार्च, 2025 को उत्तर देने के लिए

खाद्य सुरक्षा मानक

4599. श्री चरनजीत सिंह चन्नी:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और डिपार्टमेंटल स्टोरों में खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघनों, विशेषकर लगभग-मियाद समाप्त होने वाले खाद्य उत्पादों की बिक्री की जानकारी है और यदि हां, तो विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) क्या सरकार की ऑनलाइन और ऑफलाइन खुदरा विक्रेताओं द्वारा लगभग मियाद समाप्त होने वाले खाद्य उत्पादों की रियायती कीमतों पर बिक्री को विनियमित करने की योजना है और यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने मियाद समाप्त हो चुके अथवा लगभग-मियाद समाप्त होने वाले खाद्य उत्पादों की बिक्री पर निगरानी रखने और उसे रोकने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या दंडात्मक कार्रवाई की गई है; और

(घ) क्या सरकार का खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों और डिपार्टमेंटल स्टोरों के लिए कड़े दिशानिर्देश जारी करने का इरादा है और यदि हां, तो प्रवर्तन किस प्रकार सुनिश्चित किया जाएगा?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क): भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) की स्थापना स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 (अर्थात **एफएसएस अधिनियम 2006**) में निहित प्रावधानों के अनुसार की गई थी और इसे खाद्य पदार्थों के लिए विज्ञान आधारित मानक निर्धारित करने तथा मानव उपभोग के लिए सुरक्षित एवं पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उनके विनिर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात को विनियमित करने का अधिदेश दिया गया है।

दिनांक 21.03.2025 तक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स (समाप्ति तिथि के निकट पहुंच चुके बेचे गए उत्पादों से संबंधित शिकायतों सहित) के संबंध में एफएसएसएआई को प्राप्त शिकायतों का विवरण निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	प्राप्त शिकायतें	शिकायतों का समाधान
2020-2021	102	93
2021-2022	498	455
2022-2023	714	621
2023-2024	919	648
2024-2025	1379	707
कुल	**3612**	**2524**

(ख) से (घ): एफएसएसएआई ने तिथि समाप्ति वाले या समाप्ति तिथि के निकट पहुंच चुके खाद्य उत्पादों की बिक्री को विनियमित/निगरानी करने तथा रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

i. विभिन्न विनियामक आवश्यकताओं पर ई-कॉमर्स खाद्य व्यवसाय संचालकों (एफबीओ) के संचालन के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए।

ii. ई-कॉमर्स खाद्य व्यवसाय ऑपरेटर के लाइसेंस और पंजीकरण के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य व्यवसाय का लाइसेंस और पंजीकरण) संशोधन विनियम, 2020 अधिसूचित किए गए।

iii. ई-कॉमर्स एफबीओ के लिए एडवाइजरी जारी की गई । दिनांक 03.12.2024 की एडवाइजरी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ ई-कॉमर्स एफबीओ के लिए निम्नलिखित की प्राथमिकता की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है -

   क) अंतिम गंतव्य डिलीवरी कर्मियों का प्रशिक्षण।
   ख) ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर किए गए उत्पाद दावे उत्पाद के भौतिक लेबल पर दी गई जानकारी के साथ पूरी तरह से संरेखित होने चाहिए।
   ग) यह सुनिश्चित करें कि वितरित किए जा रहे खाद्य उत्पादों का पर्याप्त शेल्फ जीवन शेष हो (न्यूनतम 30% या समाप्ति से 45 दिन पहले), और
   घ) एफबीओ द्वारा विक्रेताओं के एफएसएसएआई लाइसेंस/पंजीकरण संख्या का प्रदर्शन।

iv. एफएसएसएआई पूरे वर्ष निर्माताओं/विक्रेताओं से खाद्य उत्पादों और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन बेचे जाने वाले खाद्य उत्पादों की नियमित निगरानी, मॉनीटरिंग, निरीक्षण और रेंडम सेंपलिंग करता है। गैर-अनुरूपता पाए जाने की स्थिति में, एफएसएस अधिनियम 2006 और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार सुधार उपाय किए जाते हैं।

*****